SEMESTER - 2

CC- 9

Contemporary India

- Unit - IV - Gender and politics in Contemporary India

  PART - 5

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रा नंदन

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 08604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

मुस्लिम पर्सनल लॉ और शाह बानो प्रकरण

(Muslim Personal Law and Shah Bano Case)

स्वतंत्रता के बाद लगभग प्रत्येक धर्म के व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव हुए थे परतु मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधर की बात कहते ही देश में व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू हो जाते थे। नारीवादियों ने खासकर दूसरी लहर की नारीवादियों ने व्यक्तिगत ही राजनीतिक है का नारा दिया और कहा कि सामाजिक प्रथाओं के नाम पर घर की चारदीवारी में महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है,उसमे राज्य को दखल देकर लिंगात्मक समानता का कानून पारित करना चाहिए। इन्ही समस्याओं को लेकर देश में आंदोलन चल रहा था जो कि शाह बानो प्रकरण के बाद और अधिक तीव्र हो गया। १९८५ में उच्चतम न्यायालय ने ७५ वर्षीय महिला शाहबानो के पक्ष में अपना फैसला सुनते हुए कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता -१२५ के तहत शाह बानो अपने पति से गुजारा भत्ता पाने कि हक़दार है,परन्तु इस फैसले को बाद में सर्कार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बदल दिया। जिसके बाद पुरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जिसमे अलग -अलग पार्टी व धर्म के लोगों ने अपनी दलीलें दी और नारीवादियों ने सरकार से सभी धर्मों की महिलाओं को समानता दिलाने के लिए पुरे देश में एकसमान नागरिक संहिता की मांग की। इस केस के अंतर्गत कई तथ्य सामने आये जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे।

आखिर शाहबानो केस इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ और यह केस था क्या ? शाह बानो नाम की ७५ वर्ष की एक महिला थी ,जिसके पति ने उसे बच्चो सहित घर से निकल दिया था। अब चुकी वह काफी वृद्ध हो चुकी थी और आय का कोई दूसरा जरिया नहीं था न ही वह कोई नौकरी करने में सक्षम थी। इसलिए

उसने इंदौर के स्थानीय मजिस्ट्रेट से अपने पति से गुजारेभत्ते की गुहार लगाई। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने गुजरे भत्ते की रकम २५ रूपए /माह तय कर दी जो की उसका पति उसे देता था। परन्तु इतने काम पैसे से वह एक वक़्त का खाना भी मुश्किल से जूता पति थी पुरे महीने का खर्चा निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसके पास अपने अलावा अपने बच्चो की भी जिम्मेदारी थी इसलिए उसने राज्य की उच्च न्यायालय में पुनः अर्जी लगाई तब मध्यप्रदेश की उच्च न्यायालय ने इस रकम को बढाकर १७९.२० रूपए /माह कर दिया।

उसके बाद शाह बानो उच्चतम न्यायालय गई। अभी यह मामला अदालत में चल ही रहा था कि शाह बानो के पति ने उसे तीन बार तलाक़ कहकर तलाक़ दे दिया और इसी के साथ उसने अदालत में ३००० रुपये जो मेहर कि रकम थे उसे अदालत में जमा कर दिया। इसके विरूद्ध शाह बानो ने कहा कि मेहर कि रक़म चाँदी के तीन हज़ार सिक्कों कि थी न कि ३००० रुपये की। शाहबानो के पति ने गुजारे भत्ते को लेकर अनेक दलीले दी और कहा कि -

* एक मुसलमान होने के नाते वह इस्लामिक कानून से बंधा हुआ है।

* गुजार भत्ता का मामला विवाह और तलाक़ के अंतर्गत आता है,जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत देखा जाए न कि किसी अन्य कानून के।

* गुजारा भत्ता तलाक़ कि इदत्त कि अवधि(३ माह) तक ही दिया जाता है और इसके बाद उसका उसकी पत्नी से कोई सरोकार नहीं रह जाता।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शाहबानो उच्चतम न्यायालय गई जहाँ फैसला सुनाया गया कि अपराध संहिता कि धरा १२५ के तहत शाहबानो का पति उसे गुजाराभत्ता दे। इस फैसले के बाद तत्कालीन सरकार ने दबाब में आकर अदालत का फैसला उलट दिया जिसके बाद देश में हिंसा भड़की और आंदोलन भी हुए। सरकार के इस निर्णय से आहत होकर न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर ने २८ फरबरी ,१९८६ को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसका सार निम्न रूपों में था -

* अपराध प्रक्रिया कि धारा १२५ परित्यक्ता ,तलाक़शुदा ,दरिद्र स्त्रियों को वैश्यावृति के दलदल में जाने से बचाने के लिए ही बनाया गया है ,जो कि संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा भी करता है ,ऐसे में आपका फैसला कहा तक उचित है।

*अन्य सभी धर्मों में तलाक़शुदा और आर्थिक रूप से अशक्त महिला के लिए गीजर भत्ते का प्रावधान है ,फिर मुस्लिम महिलाओं पर यह अत्याचार क्यों।

*राजनीतिक उद्देश्य में पारदर्शिता होनी चाहिए। हिन्दू -मुस्लिम साम्प्रदायिकता खतरनाक रूप से बढ़ रही है। अतः धर्मनिरपेक्षिता के स्थायित्व को समाप्त न होने दे।

*वक्फ बोर्ड जो की खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है ,ऐसे में यह महिलाओं की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा।

*वक़्फ़ बोर्ड की स्थापना धर्मप्रिय मुसलमानो द्वारा पवित्र कार्यों के निष्पादन तथा आध्यात्मिक शांति के लिए बनाया गया है,ऐसे में वो किसी महिला का संरक्षक कैसे बन सकते है।

* इद्दत की अवधि के बाद भी बीवी की जिम्मेदारी पति की होनी चाहिए।

इसप्रकार अपने पत्र में न्यायमूर्ति ने प्रधानमंत्री से संविधान की धारा - १४,१५,२१,२५ की रक्षा की गुहार लगाई और राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए धर्मनिरपेक्षता को बचाने की बात कही। बहरहाल ,इस निर्णय के सम्बन्ध में नररीवादियों ,उदारवादियों ने सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा की जो कानून महिलाओं के हितों के लिए जरूरी है उसे सब मिलकर धर्म का जामा पहना दे रहे है। इसी समय साम्प्रदायिकता पुरे देश में भड़क उठी। मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने "इस्लाम खतरे में है "का नारा लगाकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को उलटने की गुहार लगाई वही हिन्दू सम्प्रदायवादियों ने इस विरोध पर तर्क दिया कि मुस्लिम रूढ़िवादी और राष्ट्र विरोधी है। देश में इस तरह कि भावनाएं सामने आने लगी क्योंकि अस्सी के समूचे दशक में ही भारत में हिन्दू -मुस्लिम ,हिन्दू -सिख दंगो का स्वर गूँजता रहा। नवम्बर १९८४ में इंदिरा गाँधी की हत्या ने इस आग में घी का काम किया वही रही - सही कसर "रामजन्मभूमि " ने पूरी कर दी।

अक्टूबर १९८४ में विश्व हिन्दू परिषद् ने एक बृहद पूर्णकालिक आंदोलन शुरू किया और कहा की अयोध्या में बाबरी मस्जिद का प्रांगण भगवन राम की जन्मभूमि घोषित की जाए। इसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी ने यथा स्थिति बनाये रखने की मांग की। अब बाबरी मस्जिद और शाहबानो प्रकरण को एक करके भारतीय मुसलमानो पर हिन्दू साम्प्रदायिकता द्वारा हमले के रूप में देखा गया। इसके बाद के अन्य घटनाक्रम के बाद देश के दिल्ली ,मध्यप्रदेश ,श्रीनगर व अन्य जगहों पर भयंकर दंगे हुए।यहाँ तक की पाकिस्तान में भी दंगे हुए। कांग्रेस (इ)ने इन दंगो और विरोधो के बीच मुस्लिम समुदाय

को तुष्ट करने के लिए २५ फरबरी को संसद में "मुस्लिम महिला (तलाक़ पर अधिकार संरक्षण)विधेयक पेश किया। इस विधेयक के प्रस्तावों के अनुसार तलाक़शुदा मुस्लिम स्त्रियों को धारा १२५ की परिधि से बाहर कर दिया गया और दलील दी गई कि इद्दत कि अवधि के बाद उनके पतियों की भरण पोषण की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और इसके बाद उनके अनुरक्षण का दायित्व उनके माता पिता पर आ जाएगी और उनके विफल होने के बाद स्थानीय वक़्फ़ बोर्ड पर है।

इस विधेयक के विरोध में जनवादी महिला समिति ,महिला दक्षता समिति ,राष्ट्रीय भारतीय महिला महासंघ तथा दहेज़ विरोध चेतना मंच की महिलाओं ने १५०-२०० की संख्या में अपनी गिरफ़्तारी भी दी परतु तत्काल असर इस विधेयक पर नहीं हुआ। इससे नारीवादियों के समक्ष के बात तो एकदम, साफ़ हो गई कि"समुदाय खतरे में है" कि दुहाई देकर अपनी दकियानूसी सोच पुरे समाज पर थोपी जा सकती है जिसकी सबसे अधिक प्रताड़ना महिलायें झेलती है। इस प्रकरण को समझते हुए कहा जा सकता है कि धर्म के नाम पर जो जुमले फेके जाते है उससे समाज और उसमे रहने वाले नागरिकों कि ही हानि होती है। १९८६ के इस विधेयक के विरोध में कई लोगों ने तर्क दिया कि इस तरह के विधेयक से हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष स्वरुप को खतरा पैदा हो जायेगा। इस विधेयक के विरोध में नारीवादियों ,समाज सुधारकों ,धुर वामपंथी गुटों ने एक संयुक्त हस्ताक्षर याचिका पेश ाकरते हुए दलील दी कि सभी व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों से हेय माना गया है जो कि असमानता के परिचायक हैं। इसलिए धर्म केवल मानव और ईश्वर के मध्य सम्बन्धो का संचालक होना चाहिए न कि पुरुष -पुरुष एवं पुरुष -स्त्री के रिश्तों का। यह सभी को ध्यान रखना चाहिए कि सभी में एक आत्मा बसती है और इस

तरह के व्यक्तिगत कानूनों कि वजह से ही एक आत्मा होने एक बाद भी महिलाओं की स्थिति आज असंतोषजनक बनी हुई है। शाह बानो केस की तरह ही अन्य कई केसेस आते है जिसकी वजह से अदालतें बार बार सरकार से पुरे देश में एक समान नागरिक संहिता बनाने की गुहार लगाती है जिससे की संविधान में वर्णित "समानता "को पूर्ण रूपेण प्राप्त किया जा सके।